

tion of the industry and I hope and I appeal to the Government to act in the matter. Thank you, Madam.

#### **RE: PRIME MINISTER'S ASSURANCE FOR CREATION OF A SEPARATE UTTARANCHAL STATE**

**श्री राजनाथ सिंह** (उत्तर प्रदेश): मैंडम, भारत सरकार के प्रधान मंत्री द्वारा जब इस संसद् का पिछला सत्र चल रहा था उस समय यह आशासन दिया गया था कि अगले सत्र में उत्तराखण्ड को राज्य बनाने के लिए विधेयक लाया जाएगा। यह बात प्रधान मंत्री जी ने केवल सदन में ही नहीं, बल्कि सदन के बाहर भी कई सार्वजनिक सभाओं में कही थी। चुनाव के दौरान भी जब उत्तराखण्ड के क्षेत्र में वह गए थे उस समय भी वहाँ की जनता को उन्होंने आशासन दिया था। जहां तक ऐसी जानकारी है कि जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से वह भाषण दे रहे थे उस समय भी उन्होंने आशासन दिया था कि उत्तराखण्ड का राज्य बनकर रहेंगा। यहां तक कि उन्होंने समय सीमा भी निर्धारित की दी थी कि मार्च 1997 तक उत्तराखण्ड राज्य बन जाएगा। लेकिन इस बार के सत्र में भी उत्तराखण्ड से संबंधित विधेयक न आने के कारण सचमुच उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में रहने वाली जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। उन आहत भावनाओं को अधिव्यक्त करने के लिए मैं इस सदन में खड़ा हुआ हूँ।

आज के समाचार पत्र में भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा लोक सभा में जो कल वक्तव्य दिया गया उसको मैं पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने कहा है, चुंकि इस समय उत्तर प्रदेश में विधान सभा अस्तित्व में नहीं है, निलंबित है और संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार का है कि जब तक विधान सभा के दृष्टिकोण को न जान लिया जाए तब तक संसद् में इस प्रकार का उत्तराखण्ड राज्य बनाने का विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि सचमुच गृहमंत्री ने केवल मूलन को ही गुमराह नहीं किया है, उत्तराखण्ड की जनता को भी गुमराह किया है। मैं संविधान के आर्टिकल 3 का हवाला देना चाहूँगा, जो कि formation of new States, alteration of areas, boundaries or names of the existing States के बारे में है।

"Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in

either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired."

मैंडम, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें साफ लिखा गया है कि केवल लेजिस्लेचर का व्यू जाना जाएगा, प्रेसीडेंट के द्वारा जो समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है उस निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसका व्यूज केन्द्रीय सरकार के पास पहुँचता है अथवा नहीं, इसका कोई प्राप्त नहीं है, केवल इसकी औपचारिकता वह पूरी करेगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 356 (बी) की ओर ले जाना चाहूँगा।

Article 356 (b) reads thus:

"If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may, by Proclamation, declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament."

और जो राष्ट्रपति शासन की धोषणा हुई उस धोषणा में भी राष्ट्रपति जी ने कहा है कि,

"Whereas I, Shankar Dayal Sharma, the President of India, have received a report from the Governor of the State of Uttar Pradesh. After considering the report and other information, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in

accordance with the provisions of the Constitution of India. Therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and all other powers enabling me in that behalf, I hereby declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament."

अब तो साफ जाहिर है कि इस काम के लिए पार्लियामेंट अधिकृत है और वह इस समय इसे कर सकती है। इस समय लेजिसलेचर के व्यूज को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महोदया, पता नहीं क्यों उत्तराखण्ड राज्य यह सरकार बनाना नहीं चाहती? हाल ही में प्रधान मंत्री जी कलकत्ता गए थे। कलकत्ता से उनका एक बक्टव्य मुझे पढ़ने को मिला है, जिसमें उन्होंने फिर से उत्तर प्रदेश वासियों, उत्तराखण्ड वासियों को आश्वस्त किया है कि उत्तराखण्ड राज्य बनेगा।

लेकिन वह कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल की गणधारी है, वहाँ के मुख्य मंत्री ने क्या कहा है? ज्योति बसु जी ने कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य नहीं बनना चाहिए। महोदया, इस से क्षेत्रीय भावनाएं भड़केगी। मुझे लगता है कि संयुक्त भौतें के जितने भी घटक हैं, उन में कहीं-न-कहीं उत्तराखण्ड राज्य बनाने के मामले में मतैक्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस सदन को अवगत कराएं, संसद के दोनों सदनों को अवगत कराएं कि सचमुच में वह उत्तराखण्ड राज्य बनाना चाहते हैं या नहीं? महोदया, अब उत्तराखण्ड के मुद्दे के साथ सचमुच उत्तराखण्डवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं क्योंकि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर का काण्ड हुआ है, जैसे मसूरी का काण्ड हुआ और जिस प्रकार से वहाँ की महिलाओं की इजात और अस्पत के साथ खिलावाड़ किया गया है और जिस प्रकार की यातना उत्तराखण्डवासियों की भुगतानी पड़ी है, परिणामस्वरूप आज वहाँ का चारे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो और चाहे जवान हो या महिला हो सब की भावनाएं उत्तराखण्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन भावनाएं जुड़ी होने के बावजूद, पूरी तरह से जज्बात जुड़े होने के बावजूद, पता नहीं क्यों यह सरकार उन के साथ खिलावाड़ कर रही है? महोदया, यह हम सब को जानकारी है कि उत्तराखण्ड का क्षेत्र ऐसा है, वह 8 जनपद जो कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, वह क्षेत्र ऐसा है कि जिस में 80 फीसदी से ज्यादा ऐसे परिवार हैं कि हर परिवार का एक सदस्य सेना में है और कुछ परिवार ऐसे हैं कि यदि उस में 4 युवक

हैं तो 3 युवक सेना में निश्चित रूप से भर्ती हैं यानी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन के ऊपर है और इस पर्वतीय क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग चीन से लगा हुआ है। अब मैं समझता हूं कि यदि वहाँ के रहने वाले लोगों की भावनाओं को हम आहत करें तो हम कैसे अपेक्षा कर पाएंगे कि वह अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा भी पूरी ईमानदारी से कर पाएंगे?

महोदया, आज थोड़ी-थोड़ी सी बातों पर लोगों का ईमान और नीत डिंग जाया करती है। इसलिए मैं आप को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए उत्तराखण्ड राज्य क्यों बनना चाहिए, किन परिस्थितियों में बनना चाहिए, इस सब का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में दो-दो बार यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। दो-दो विधान सभाओं ने अपने व्यूज को स्थृत कर दिया है, अपने दृष्टिकोण को स्थृत कर दिया है कि उत्तराखण्ड का राज्य बनना चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी उस समय भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि अब विधान सभा के व्यूज पुनः प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी सदन में बक्टव्य दें कि वह उत्तराखण्ड से संबंधित विधेयक कब लाने जा रहे हैं? उत्तराखण्ड राज्य कब तक बन जाएगा? मैं उन से निवेदन करना चाहूंगा कि अब उन के द्वारा साफ-साफ निश्चित तिथि बतायी जाए चाहिए, ताकि उत्तराखण्ड की जनता आश्वस्त हो सके नहीं तो जिस प्रकार का कोरा आश्वासन उन्होंने अब तक दिया है, उस से अब वहाँ के लोगों का विश्वास उठ गया है और मैंडम वैसे भी आप जानती हैं कि भारत की एजनीति और भारत के राजनेताओं की तरफ से जनता का विश्वास उठता जा रहा है और भारत की राजनीति में पैदा हुआ यह विश्वनीयता का संकट सचमुच एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि लोकतंत्र इस देश में सरवाइव कर पाएगा या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड को राज्य बनाने संबंधी विधेयक शोधातिशीघ्र लाया जाना चाहिए और इस बारे में प्रधान मंत्री जी द्वारा बक्टव्य दिया जाना चाहिए।

श्री मनोहर कांत ध्यानी (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं श्री राजनाथ सिंह जी के प्रस्ताव से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।